



P-ISSN: 2706-7483

E-ISSN: 2706-7491

IJGGE 2021; 3(2): 142-143

Received: 12-07-2021

Accepted: 13-09-2021

डॉ० बनवारी लाल जाट

सहायक प्रोफेसर, एम.एस.पी.जी  
कॉलेज, जयपुर, राजस्थान, भारत

## किसान कृषि बिल क्या है? कृषि विधेयक 2020

### डॉ० बनवारी लाल जाट

#### प्रस्तावना

आज के समय में हर कोई किसान बिल के विषय में जानना चाहता है क्योंकि जब से बिल सरकार द्वारा लाया गया है इसका विरोध भी देखा जा रहा है और समर्थन भी तो लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है कि क्या किसान बिल 2021 और यह बिल किसान के लिए लाभदायक है या नहीं।

तो आइए आज हम आपको नया किसान बिल (कृषि कानून 2020) से जुड़ी जानकारी देते हैं।

भारतीय संसद ने तीन कृषि अधिनियमों को पारित किया किसान उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2021। मूल्य आश्वासन: कृषि सेवा अधिनियम 2021 आवश्यक वस्तु (संशोधन) 2021 का किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता।

17 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाले विवादास्पद बिलों को विपक्षी पार्टी के नेताओं और किसान समूह द्वारा एक ही हंगामे के बीच पारित किया गया था।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह सिंह तोमर द्वारा किसान बिल को पेश किया गयाद्यपंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान सङ्कों पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, विपक्ष ने इसे कॉर्पोरेट हितों को बेचना कहा है तो आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से बताना चाहते हैं कृषि बिल क्या है और किसान इसका विरोध कर रहे हैं।

#### किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक {Farmers produce trade and commerce (Promotion and facilitation)Bill}

1. किसानों के व्यापार क्षेत्रों का दायरा चुनिंदा क्षेत्रों से लेकर उत्पादन, संग्रह और एकत्रीकरण के किसी भी स्थान तक फैला हुआ है।
2. अनुसूचित किसानों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ई-कॉमर्स की अनुमति देता है।
3. राज्य सरकारों को किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर किसी भी बाजार शुल्क, उपकर या लेवी पर किसानों के उत्पाद के व्यापार के लिए ट्रेड बाहरी व्यापार क्षेत्र में आयोजित पर प्रतिबंध लगाने से रोकता है।

#### किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) विधेयक मूल्य आश्वासन (Farmers (Empowerment and protection)agreement on price assurances}

1. मूल्य निर्धारण का उल्लेख सहित खरीदारों के साथ पूर्व व्यवस्थित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए किसानों की एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
2. एक विवाद समाधान तंत्र को परिभाषित करता है।

#### सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं (संशोधन) विधेयक {Services Bill and essential commodities (Amendment)Bill}

1. खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालें, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेल को हटाता है, आवश्यक वस्तुओं की सूची से असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर ऐसी वस्तु पर स्टॉक होल्डिंग सीमा को हटा देता है।
2. आवश्यकता है कि कृषि उपज पर किसी भी स्टॉक सीमा को लागू करना मूल्य वृद्धि पर आधारित है।

#### किसान बिल विरोध: जो इस बिलों का का विरोध कर रहे हैं

राजनीतिक दल, भारतीय किसान यूनियन (BKU) जैसे कृषि संगठन और अखिल भारतीय किसान संघर्ष संमन्वय समिति (AIKSCC) जैसे बड़े कृषि निकाय और किसानों के कुछ वर्ग बिल का विरोध कर रहे हैं वे कहते हैं कि ये बिल बड़े कॉर्पोरेट्स (बिजनेसमैन) को छोड़कर किसी की मदद नहीं

Corresponding Author:

डॉ० बनवारी लाल जाट

सहायक प्रोफेसर, एम.एस.पी.जी  
कॉलेज, जयपुर, राजस्थान, भारत

करेंगे और किसानों की आजीविका को नष्ट कर देंगे। हम आपको बताएंगे कि किस विधेयक में क्या फायदे हैं और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है—

### **कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सशक्तिकरण) विधेयक 2021**

इस बिल का मुख्य उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद APCM (एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी) यानी तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट प्रदान करता है। इसका लक्ष्य किसानों को उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है तथा किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई फीस भी नहीं ली जाएगी।

#### **कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक का लाभ**

1. यह किसानों के लिए नए विकल्प उपलब्ध कराकर किसानों को खेती करने में अधिक सहायता प्राप्त करवायेगा।
2. उनकी उपज बेचने पर आने वाली लागत को कम करेगा जिससे किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके।
3. इसमें किसी भी राज्य के किसान अपना अधिक उत्पादन अन्य राज्यों में बेचकर अधिक दाम प्राप्त कर सकेंगे जिससे किसानों को अधिक मुनाफा होगा।

#### **कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक का विरोध**

इस विधेयक का विरोध करने का मुख्य कारण है कि यदि किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति (APMC) के बाहर भेजते हैं तो राज्यों को किसानों से मिलने वाले राजस्व का नुकसान होगा क्योंकि यदि किसान अपनी उपज को मंडी से बाहर भेजते हैं तो राज्य मंडी शुल्क प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों और विपक्षी दलों को यह लग रहा है कि इस विधेयक से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आधारित प्रणाली खत्म हो जाएगी और निजी कंपनियों का शोषण बढ़ जाएगा।

#### **मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) अनुबंध विधेयक 2021**

इस विधेयक के अंतर्गत किसानों को उनके होने वाली कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यवसायी फर्मों, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगाद्यअब किसान अपनी उपज का मूल्य तय करने को स्वतंत्र होगा।

#### **किसान अनुबंध की विधेयक 2021 का लाभ**

इस विधेयक के आने से अब किसान की फसल में होने वाले जोखिम में खरीदार (जिनके साथ अनुबंध किया हो) भी भागीदार होगा जिससे किसानों का फसल में होने वाले जोखिम की समस्या कम हो जाएगी। इसके साथ ही किसान इस विधेयक से आधुनिक तकनीकी और बेहतर इनपुट तक पहुंच बना पाएंगे और विपणन लागत को कम करके किसानों की आय को बढ़ावा देता है।

#### **किसान अनुबंध विधेयक 2021 का विरोध**

इस बिल का विरोध करने वाले किसान व विपक्ष के लोगों का मानना है कि इस कानून को भारतीय खाद्य एवं कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपतियों के अनुरूप बनाया गया है जिससे किसानों को फसल की मोलभाव तैयार करने की शक्ति कमजोर हो जाएगी। इसके साथ ही सभी निजी कंपनियों निर्यातकों थोक विक्रेताओं और प्रोसेसर को इससे कृषि क्षेत्रों में बढ़त मिल सकती है।

#### **आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2021**

इस विधेयक के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसी कृषि उपज को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि व प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों को हटाने का प्रावधान रखा गया जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिल सके।

#### **आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक के लाभ**

इस विधेयक का मुख्य फायदा कृषि क्षेत्रों में निजी निवेश एफडीआई को आकर्षित करने के साथ-साथ मूल्य स्थिर लाना है जिससे किसान अपनी उपज के लिए अच्छी कीमत हासिल कर सकता है।

#### **आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक का विरोध**

इस विधेयक के विरोध में किसानों व विपक्षी का कहना है कि यदि अनाज, दाल, तिलहन, खाने वाले तेल, आलू, प्याज को आवश्यक वस्तुओं से हटाया जाएगा तो बड़ी कंपनियों को इन कृषि उपजों के भंडारण की छूट मिल जाएगी जिससे वे किसानों पर अपनी मनमर्जी करेंगे जिससे किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

#### **References**

1. Central Government scheme
2. Kisan Krishi bill 2020 BBC News,
3. The Times of India News krishi bill 2020
4. Ministry of Laws and justice
5. Model contract forming act 2018
6. Moment for India agriculture 1991
7. NASSCOM Report 2019
8. Recent study by the RBI in 2018-19
9. N.S. Tomer: Agriculturor related bill bring revolutionary Changes in lives of farmers.
10. Ministry of igriculture & farmers.